राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांक– एफ 8 (278)/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./ दिनांक:–..............................

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूँगरी जयपुर को 9 सुरक्षा कर्मी एवं 1 सुपरवाईजर सेवाएँ अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रू. में)	बयाना राशि (रू. में)	संविदा अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	9 सुरक्षा कर्मी एवं 1 सुपरवाईजर	998000.00 रू.	20,000.00 रू.	1 वर्ष	13.06.2018 को सांय 3:00 बजे	13.06.2018 को सांय 4:30 बजे

निविदा प्रकाशन से दिनांक 13.06.2018 दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित शुल्क 200/– रूपये जमा कराकर निविदा प्रपत्र कमरा (केशियर) से प्राप्त कर सकते है। शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट [illegible] अथवा SPPP.raj.nic.in एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं बयाना की राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना बयाना राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सदस्य सचिव को होगा।

वेबसाईट:- environment.rajasthan.gov.in/rpcb

(अजय कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव

क्रमांक:– एफ 8 (278)/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./ दिनांक:–..............................

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरिष्ट निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. सदस्य (निविदा समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट उपपनन पोर्टल पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

(अजय कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव

Recd on 25/5/18

27/5/18

Please upload.

Program

25/5

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांकः– एफ 8 (278)/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./ दिनांकः–.................

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूँगरी जयपुर को 9 सुरक्षा कर्मी एवं 1 सुपरवाईजर सेवाएँ अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक (रू. में)	बयाना राशि (रू. में)	संविदा अवधि	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	9 सुरक्षा कर्मी एवं 1 सुपरवाईजर	998000.00 रू.	20,000.00 रू.	1 वर्ष	13.06.2018 को सांय 3:00 बजे	13.06.2018 को सांय 4:30 बजे

निविदा प्रकाशन से दिनांक 13.06.2018 दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित शुल्क 200/– रूपये जमा कराकर निविदा प्रपत्र कमरा (केशियर) से प्राप्त कर सकते है। शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट http://rpcb.rajasthan.gov.in/ अथवा SPPP.raj.nic.in एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं बयाना की राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना बयाना राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सदस्य सचिव को होगा।

(अजय कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव

क्रमांकः– एफ 8 (278)/सा.मा.प्रशा./रा.प्र.नि.मं./166 दिनांकः–23/5/2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरिष्ट निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. सदस्य (निविदा समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट उपपनन पोर्टल पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

(अजय कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्सः 5159600,5159699 फैक्सः 5159694–97

निविदा प्रपत्र

राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु संविदा निविदा फार्म (मूल्य रू. 200/–)

1. निविदादाता का नाम व पताः
   (मय दूरभाष/मोबाइल तथा ई–मेल)

2. निविदादाता का पंजीकरण संख्याः
3. पैन संख्याः
4. पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक
5. निविदादाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक
6. G. S. T. का रजिस्ट्रेशन व दिनांक
7. संदर्भ — निविदा सूचना................दिनांक.................................
8. राजकोष इन्फो सर्विस लि. RISL के नाम से 500/– डी.डी. नं....................................
9. निविदा शुल्क रू 200/–जमा कराने का विवरण–
   नकद रसीद सं0......................दिनांक..............................
   डी.डी. पत्र/बैंकर चैक न...
   बैंक का नाम............................दिनांक...........................
10. अमानत राशि रू. 20,000/–के डीडी/
    बैंकर्स चैक जो कि सदस्य सचिव,
    राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल — डीडी/बैंकर चैक सं0.............दिनांक.....................
    जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरणः–बैंक का नाम...

11. निविदा के लिए प्रस्तावित दर

क्र.स.	कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (अंको में)	दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1.	सम्पूर्ण मुख्यालय भवन में परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 9 प्रहरी तथा एक सुपरवाईजर का कार्य		

12. हमने निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। मैंने/हमने सभी शर्ते मान्य होने बाबत् निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों पर हस्ताक्षर कर लिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

Scanned by CamScanner

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल परिसर एवं मय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य विवरण एवं ठेके की शर्ते

1. निविदाकार को सील बंद लिफाफों में दर निविदा लिखकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, RISL की फीस तथा सरकारी संस्थान के अनुभव का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव तथा वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र सर्विस टैक्स जमा का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. राज्य मण्डल की सुरक्षा व्यवस्था बिना अवकाश के पूरे 24 घंटे की होगी, जो तीन पारियों में होगी। प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे 3 सुरक्षा प्रहरी, द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से 10.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी, रात्री 10.00 से प्रात 6.00 बजे तक 3 सुरक्षा प्रहरी कुल 9 सुरक्षा प्रहरी तथा एक सुपरवाइजर प्रात 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगे। 24 घंटे चलने वाली इस सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन व देख रेख के लिए सुरक्षा पर्यवेक्षक (दिन के लिए) जो कि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होगे। सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है।

3. सुरक्षा कर्मी के किसी दिवस में अनुपस्थित रहने पर अनुपातिक रूप से कटौति की जाएगी।

4. यह अनुबंध (इकरारनामा) एक वर्ष की सेवा अवधि के लिए किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक होने पर आपसी सहमती से एक वर्ष नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।

5. सुरक्षा प्रहरियों द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता, अनुशासनहीनता तथा गैर जिम्मेदाराना हरकत करने पर उन्हें तुरन्त लौटा दिया जावेगा। किसी भी प्रकार की चोरी, वित्तीय हानि की जिम्मेदारी अथवा देनदारी अनुबंधकर्ता सुरक्षा एजेन्सी की होगी। सभी कर्मियों के पते एवं विवरण संबधित पुलिस थाने (गाँधी नगर, जयपुर) व राज्य मण्डल को दिये जाने आवश्यक है। इस संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के कानूनी वाद की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी एवं इस संबंध में राज्य मण्डल का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

6. समस्त सुरक्षा प्रहरी ड्यूटी पर पूर्ण निर्धारित वर्दी में ही रहेगे। वर्दी, टोपी, सीटी, टार्च, बैज इत्यादि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता करेगा।

7. किसी भी सुरक्षा प्रहरी को नशे ही हालत में अथवा सोते हुए या अन्य किसी गफलत में पाया जाने पर एवं ड्यूटी पर लापरवाही बरतते हुए पाये जाने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसे तत्काल लौटा दिया जायेगा एवं उसके पूर्ण हर्जे खर्जे की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

8. सविदा अवधि में होने वाली किसी चोरी या अन्य अवांछनीय तत्वों द्वारा तोडफोड व अन्य हानि का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता/सुरक्षा एजेन्सी का होगा। मण्डल हानि संस्था से वसूल करेगी। फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान, बोनस, ग्रेज्यूएटी, अवकाश इत्यादि, पीएफ एक्ट,

Scanned by CamScanner

लैबर कॉन्ट्रेक्ट (रेगुलेशन एण्ड एवोलेशन एक्ट, 1970) अन्य कानून जो कि समय–समय पर लागू हो, को कॉन्ट्रेक्ट लैबर पर लागू होगें। जिसकी जिम्मेदारी स्वय ठेकेदार की होगी।

9. राज्य मण्डल द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दिये गये निर्देशों की पालना सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा प्रहरियों एवं अनुबंधकर्ता संस्था को करनी होगी।

10. सुरक्षा कर्मियों का यह भी दायित्व होगा की वे मण्डल से बाहर ले जा रही सामग्री/सम्पत्ति की जाँच करें तथा केयरटेकर/पर्यावरण अभियन्ता प्रशासन के समुचित आदेश के बिना परिसर से बाहर न जाने दें तथा अनुमति से बाहर ले जाई गई वस्तु का रिकार्ड अपने पास रखेगें।

11. राज्य मण्डल कर्मिको के वाहनो को यथा साईकिल/स्कूटर, कार, जीप आदि को निर्धारित स्थल पर खडा करवाना भी सुरक्षा कर्मियों का दायित्व होगा। परिसर में से यदि कोई वाहन चोरी होता है तो उसकी दायित्व भी सुरक्षा कर्मियों का ही होगा। मालवाहक वाहनों के प्रवेश एवं निकासी सामग्री जो वाहन में उसकी सूची मय वाहन संख्या सुरक्षा एजेन्सी के पास होनी चाहिए जो कि संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी।

12. निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में 20,000.00 रूपये जमा कराने होंगें। निविदा स्वीकार न होने पर यह राशि लौटा दी जायेगी। अमानत स्वीकार होने पर यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी। अमानत राशि सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं. के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करवाई जा सकती है।

13. केवल भारतीय सेना के सेवा निवृत्त सैनिक ही सुरक्षा कार्य के लिए स्वीकार्य होगे अतः दरें उसके अनुसार ही प्रस्तुत की जायें। इस हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी।

14. प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की सेवा अवधि 8 घंटे की होगी। सुरक्षाकर्मियों का भौतिक सत्यापन समय–समय पर अवधाता (केयरटेकर) से कराना होगा जो प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का कार्य स्थल पर जाकर जायजा लेगे तथा अन्य निर्दिष्ट अधिकारी समय–समय पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

15. राज्य मण्डल के कमरो एवं वाहन की समस्त चाबियों को मय छल्ले जिस पर अनुभाग का नाम हो, निर्धारित की बोर्ड में लगाना होगा ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल चाबी आसानी से मिल सके।

16. अनुबंधकर्ता एजेन्सी का सुपरवाइजर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बगीचे के रखरखाव, डक्टिंग का निरिक्षण प्रतिदिवस करेगे यदि कोई भी कमी पायी जाती है तो केयर–टेकर को तत्काल अवगत करायेगे।

17. सुरक्षा पर्यवेक्षक/सुरक्षा कर्मी राज्य मण्डल की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों के साथ कार्यालय कमरों/वाचनालय आदि सभी स्थानों पर उपस्थित रहेंगे, जिससे मण्डल की कोई भी सम्पत्ति का नुकसान या चोरी नही हों इस दौरान होने वाले नुकसान की जानकारी अधिकृत अधिकारी को तुरन्त प्रस्तुत करना पर्यवेक्षक/सुरक्षाकर्मी का दायित्व होगा।

Scanned by CamScanner

18. अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व संतोषजनक रूप से पूरे न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंधकर्ता के हर्जे खर्चे पर अन्य ऐजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय राज्य मण्डल को वहन करना पडा तो वह राशि अनुबंधकर्ता से वसूल योग्य होगी। यह राशि अनुबंधकर्ता के नियमित मासिक भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा मासिक भुगतान बकाया न होने की स्थिति में धरोहर राशि में से वसूल की जायेगी।

19. कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में राज्य मण्डल यह अनुबंध किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त कर सकता है जबकि अनुबंधकर्ता संस्था को उसकी ओर से ठेका (अनुबंध) समाप्त करने की स्थिति में कम से कम दो माह का पूर्व नोटिस देना होगा ताकि राज्य मण्डल समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। धरोहर राशि अनुबंध की अवधि समाप्ति पर अनुबंध के सतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में वापस की जावेगी।

20. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध अभिलिखित करना होगा।

21. इस अनुबंध का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

22. निविदा स्पष्ट शब्दो व अक्षरों से पैन/स्याही से भरी जावें। किसी भी प्रकार की काट–छाट या ओवर राईटिग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी काट–छाट/ओवर राईटिग पर जो भी निर्णय ले वह निविदादाता को मान्य होगी।

23. निविदा लिफाफे में सील बन्द प्रस्तुत की जावे तथा लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता अंकित करें।

24. समुचित अमानत राशि तथा RISL की राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

<u>करार की प्रतिभूति निक्षेप</u>

25. सफल निविदादाता को अनुमोदन आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी है, अनुमानित वार्षिक लागत मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

<u>निम्नलिखित प्रस्थितियों में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगीः–</u>

I. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

II. जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवाए संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।

III. निविदादाता समय से पूर्व अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करता हो।

Scanned by CamScanner

भुगतान

26. सफल निविदादाता भुगतान हेतु सदस्य सचिव के पक्ष में अपना विल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा तथा भुगतान विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी से सन्तोष जनक रिपोर्ट के आधार पर होगा।

27. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

28. प्रथम विल के उपरान्त अगले माह के साथ पी.एफ. जमा का प्रमाणक मय कर्मचारी की सूची के साथ संलग्न करेगा।

अन्य शर्ते

29. एजेन्सी को किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में सफलतापूर्वक कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

30. कार्यालय समय के अलावा व राजपत्रित अवकाश दिवसों को आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के आने एवं जाने की एक पंजिका संधारित करनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी कक्ष को खोलने एवं बन्द करने की अनुमति प्रदान करने की स्थिति में ही अनुपालना कर संधारित पजिका में इन्द्राज करना होगा।

31. राज्य मण्डल में आने वाले आगतुकों का रजिस्टर संधारित करना होगा तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही आगतुकों को आगे यथास्थान भेजा जावेगा।

32. कोई भी सुरक्षाकर्मी अपने ड्यूटी स्थान को नही छोडेगा एवं ड्यूटी पर जाने से पूर्व ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करेंगे। ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी सचेत एवं सजग रहेगे तथा अपने आस पास के क्षेत्र पर नजर रखेगे।

33. किसी सुरक्षाकर्मी के अवकाश पर जाने अथवा निर्धारित समय से पूर्व ड्यूटी छोडने अथवा विलम्ब से आने पर ठेकेदार को उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर उसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।

34. निविदा स्वीकार होने एवं अनुबन्ध किए जाने के उपरान्त ठेकेदार ठेके को 'सब लेट' नही करेगा यदि वह ऐसा करता पाया गया तो नियमानुसार ठेका निरस्तीकरण एवं सुरक्षा राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी।

35. सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

36. कार्य संतोषजनक नही होने व अनुबन्ध की शर्तो के विरूद्व कार्य करने पर राज्य मण्डल द्वारा द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगी।

Scanned by CamScanner

37. अपूर्ण निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।

38. सुरक्षा एजेन्सी राजस्थान प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिए। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर निविदा पर विचार नही होगा।

मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

फर्म का नाम एवं पते सहित

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम व मोहर

Scanned by CamScanner